संख्या-36/2020/2084/71-4-2020-एस-21/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनाँक 14 दिसम्बर,2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष रू0 1,25,00,000 (रूपया एक करोड़ पचीस लाख मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1884/ई/यू0पी0यू0एम0एस0/एम0एम0-डिपाट/20-21, दिनांक 26-09-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संचालित पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत में विभिन्न विभागों में उपकरण के क्रय हेतु सूची उपलब्ध कराते हुए मानक मद-26 मशीने सज्जा/उपकरण संयंत्र मद में स्वीकृति धनराशि के सापेक्ष रू0 1,25,00,000 (रूपया एक करोड़ पचीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हेतु मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपकरणों की अनुमोदित सूची (प्रति संलग्न) के उपकरणों के क्रय किये जाने हेतु रू0 1,25,00,000 (रूपया एक करोड़ पचीस लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

1. वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही संबंधित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी का दायित्व होगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जाएगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3. स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में किसी दशा में नहीं रखा जाएगा।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति /कुलसचिव/वित्त अधिकारी /संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।
6. उपकरणो का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 उ0प्र0 प्रक्योरमेन्ट मैनुअल एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले क्रय संबंधी आदेशों में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, इसमे किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता का द्योतक होगा। भण्डार क्रय संबंधी नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि इनको रखने के लिए पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
8. उपकरणों के क्रय प्रक्रिया में ई-प्रक्योरमेन्ट/ई-टेन्डरिंग प्रणाली से संबंधित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा
9. क्रय किये जाने वाले उपकरण चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत उपकरणों के क्रय संबंधी शासनादेशों के अनुसार ही क्रय किये जाएगें, जो विभाग की आवश्यकता एवं एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानक के अनुसार होंगें।
10. उपकरणों के क्रय पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृति धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जाएगा। यदि धनराशि की बचत होती है, तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किये जाने वाले अन्य उपकरणों के क्रय में समायोजित किया जायेगा।
11. क्रय किये जाने वाले उपकरणों की वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण की स्थापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।
12. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाएगा । क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट आदि की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की होगी।

3- दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/संबंधित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाएगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टिया न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टताओं का यथासम्भव समावेश किया जाए। वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत-सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4- धनराशि को व्यय किये जाने के पूर्व वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा द्वारा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जाएगें।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-08-रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- 36/2020/2084(1)/71-4-2020-एस-21/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, इटावा ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।